



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2019 में इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं अथवा पूर्व से प्राप्त छात्रवृत्ति के नवीकरण हेतु आवेदन करने के संबंध में।

विज्ञप्ति संख्या - 56/2019

सेन्ट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एवं युनिवर्सिटी के तहत वर्ष 2019 में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ऐसे छात्र/छात्रा जो अपने संकाय (कोटिवार) में Top 20th Percentile/above 80th Percentile of Successful Candidates in relevant stream के अन्तर्गत आते हैं, वे इस आवेदन हेतु पात्र होंगे।

इस Scheme के तहत सभी जानकारीयों यथा संस्थानों के पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया, छात्रवृत्ति की राशि, Renewal की प्रक्रिया एवं शर्तें, Fresh आवेदन भरने की प्रक्रिया आदि परिषद् के website-jac.jharkhand.gov.in एवं National e-Scholarship के Portal (<https://scholarships.gov.in>) से प्राप्त की जा सकती है।

- * परिषद् द्वारा उक्त छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी मात्र उपलब्ध कराई जाती है। इस छात्रवृत्ति हेतु राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभुक के खाते में MHRD, New Delhi के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। परिषद् की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः छात्रवृत्ति अप्राप्त रहने से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सिर्फ सूचना उपलब्ध कराने का एक माध्यम है।
 - * वर्ष 2019 की इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ Fresh Application online माध्यम से (<https://scholarships.gov.in>) पर भरेंगे। इसके लिए आवेदक New Registration Tab पर Click कर अपना Registration करते हुए Website पर वर्णित दिशा निर्देश के अनुरूप फॉर्म भरेंगे।
 - * Top 20th Percentile के अन्तर्गत आनेवाले छात्र-छात्राओं की सूची परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 - * वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ Renewal हेतु आवेदन Online भरेंगे।
 - * आवेदन करते समय छात्र अपना इंटरमीडिएट का रोल कोड एवं रोल नं. एक साथ लिखेंगे। अन्यथा आवेदन कर पाना संभव नहीं हो सकेगा।
 - * वर्ष 2014 एवं इसके पूर्व के छात्र Renewal से संबंधित आवेदन प्रपत्र परिषद् के website से Download करेंगे एवं स्पीड पोस्ट के द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व परिषद् को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - * छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति कोषांग के e-mail id-ntse.jac@gmail.com या दूरभाष संख्या- 7485093439 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
 - * नोट:- छात्रों से अनुरोध है कि वे बाधारहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपना आधार संख्या को बैंक खाते से Seeding/Link अवश्य करा लें।
- इस संबंध में सूचना राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को भी पत्र के माध्यम से दी जा चुकी है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/CSSS/794/15/Secy/385/19.

Dt. 06.08.2019

D.O.P : 07.08.2019